न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर।
CNR NO UKCL 020003902022
Criminal Case 267/2022
न्यू आजाद फर्नीचर प्रति बन्दना देवी।

<u>दिनांकः—19.12.2022</u>

अभियुक्ता के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब हुई, वाद पुकारा गया। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश सिंह रावत अनुपस्थित, अभियुक्ता मय विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नेगी उपस्थित, अभियुक्ता बन्दना देवी के विरूद्ध गैर जमानती अधिपत्र पर पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्ता बन्दना देवी पूर्व नियत तिथि पर एक जमानती प्रस्तुत करने बाबत अग्रिम तिथि की याचना की गयी थी। आज अभियुक्ता बन्दना देवी द्वारा एक जमानती न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तथा अभियुक्ता का गैर जमानती अधिपत्र निरस्त किया जाता है।

अभियुक्ता को अभियोग का सारांश बताया गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि प्रकरण मे यदि संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण कर साक्ष्य का सारांश अंकित किया जाता है तो उससे प्रकरण के न्याय संगत विनिश्चय में कठिनाई उत्पन्न होने की सम्भावना है। अतः न्यायालय के मत मे प्रकरण मे समन विचारण की प्रक्रिया अनुसरण किया जाना न्यायसंगत है।

पत्रावली वास्ते परिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक 23.01.2023 को पेश हो।

सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गोपेश्वर।